राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

कमाक प.17(18) कार्मिक क–2/77

जयपुर दिनांक 04-11-2011.

1 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव

2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण से किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने पर, राज्य सरकार की ओर से कन्टेस्ट (Contest) करने के संबंध में।

इस विभाग के समसख्यक परिपत्र दिनांक 28.7.2001 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण में अपने स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध यदि स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया हो तो सामान्यतया ऐसे प्रकरणों को संबंधित विभागों द्वारा अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से कन्टेस्ट करना वांछनीय नही है, तथापि अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव यह आश्वस्त होने पर कि प्रशासनिक कारणों से ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में कन्टेस्ट किया जाना आवश्यक है, अपने स्तर पर कन्टेस्ट करने संबंधी अन्तिम निर्णय लेने हेतु सक्षम होगें।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को व्यादिष्ट किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है तो इस विभाग के उपर्युक्त समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.7.2001 की तत्काल पालना सुनिश्चित करावें तथा ऐसे प्रकरणों को आगामी मेगा लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने की व्यवस्था करावें।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2 वित्त (व्यय–3) विभाग।
3 वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5 प्राधिकृत सरकारी प्रतिनिधि, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6 निदेशक, विधि (वादकरण) विभाग/विधि विभाग, जयपुर।
7 श्री विक्रम सिंह राठौड, स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

57/2011